

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/745

दिनांक: 20.01.2026

आदेश

आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 955 दिनांक 02.02.1995, 1127 दिनांक 23.02.1995 एवं 7112 दिनांक 08.01.2000 को अधिक्रमित करते हुए निर्दिष्ट करता है;

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 53 के उपनियम (2) में प्रावधान है कि उपयोग में लाये गये मतपत्रों, चाहे वे वैध हों, निविदत्त हों या प्रतिपेक्षित हों तथा चिन्हित मतदाता सूचियों के पैकेट एवं नियम 60(1) के अन्तर्गत रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सील किए गए मतपत्रों के पैकेट तथा निर्वाचन से संबंधित अन्य कागजात, सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना नहीं खोले जायेंगे और न ही उनमें रखे हुये कागजात का निरीक्षण किया जायेगा। राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 47(1) के उपनियम के खण्ड (III) व (IV) में प्रावधानों के अन्तर्गत निविदत्त मतपत्रों, उपयुक्त मतपत्रों, खराब हुए मतपत्रों, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के पृथक-पृथक पैकेट सीलबन्द किये जायेंगे। अतः ऐसे सीलबंद पैकेटों के कागजात भी निरीक्षण के लिये उपलब्ध नहीं रहेंगे।

उपरोक्त प्रावधानों में वर्णित एवं अन्य किसी आदेश यदि कोई हो, से निरीक्षण के लिए प्रतिबन्धित दस्तावेजों के अलावा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कराया जा सकता है तथा उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि भी जारी की जा सकती है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पंच/सरपंच चुनाव तथा जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य चुनाव से संबंधित नामनिर्देशन पत्र, मतगणना एजेण्ट/मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के फार्म परिणाम पत्र का निरीक्षण या प्रतिलिपि देना प्रतिबन्धित नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे दस्तावेजों के लिये, जो निरीक्षण कराये जाने योग्य हैं, उनके निरीक्षण के लिये और उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि जारी करने के लिए निम्न प्रकार से फीस व प्रक्रिया निर्धारित करता है :-

1. निरीक्षण:- (क). उक्त दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र लिखित रूप में दिये जायेंगे और इसमें उस अभिलेख का जिसका निरीक्षण अपेक्षित है, सम्बन्धित विवरण दिया जाना चाहिये,

(ख). दस्तावेजों का निरीक्षण करने की किसी भी व्यक्ति को इसके लिये आवेदन करने पर और निरीक्षण के लिए उसी दर पर शुल्क का भुगतान करने पर अनुमति दी जायेगी, जो दर दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए राजस्व न्यायालय नियमावली के प्रावधानों के तहत राजस्व अधिकारी द्वारा वसूल की जाती है।

2. प्रमाणित प्रतिलिपि:- उक्त दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि, उसके लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को उसी दर पर शुल्क का भुगतान करने पर दी जायेगी जो दर राज्य में राजस्व न्यायालय नियमावली के प्रावधानों के तहत किसी आदेश की प्रतिलिपि के लिये राजस्व अधिकारी द्वारा वसूल की जाती है।

3. आवेदन पत्र में निरीक्षण के लिए या दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दिए जाने के लिए आवेदक का अधिकार सिद्ध किया जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिये यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि आवेदक का ऐसे दस्तावेज या दस्तावेजों में प्रत्यक्ष और सुनिश्चित हित हैं और ऐसा हित किस प्रकार का है।

4. जब दस्तावेज का निरीक्षण करना या प्रमाणित प्रतियां लेना सरकारी प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो कोई फीस नहीं ली जायेगी।

5. जब निर्वाचन अभिलेखों का निरीक्षण हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन समाप्त होने के तुरन्त बाद किया जा रहा हो तब कर्मचारियों द्वारा प्रभावकारी पर्यवेक्षण रखना आवश्यक है। अभिलेखों में किसी कागज के हटाए जाने से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को एक ही साथ निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

भवदीय,

20/11/24
(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2024/746-752

दिनांक: 20.01.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर)।
6. समस्त रिटर्निंग अधिकारी माफत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर)।
7. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ईमेल करने, आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

20.01.2024
(अम्बा लाल मीणा)
उपसचिव